राज्‍य में लागू अपेक्षित मूल्‍य के गैर न्‍यायिक स्‍टाम्‍प पेपर पर निष्‍पादित करना होगा ।

फार्म – पीएफसी-पीएल3

ऋण सं……………………

***(राज्‍य क्षेत्र के उधार लेने वालों के लिए रुपए के आवधिक ऋणों के लिए लागू )***

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि0

और

……….

के बीच करार ज्ञापन

दिनांक ……… 2007

करार ज्ञापन

यह करार ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि0 एक सरकारी कम्‍पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय उर्जा निधि, 1, बाराखम्‍बा लेन, कनाट प्‍लेस, नई दिल्‍ली -110001 में है (जिसको इसमें आगे ‘कॉर्पोरेशन’ कहा गया है, और इसके

अंतर्गत उनके उत्‍तराधिकारी और समनुदेशिती भी है, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से उसके विरुद्ध न है) और दूसरे पक्षकार के रूप में …. है, जिसका मुख्‍यालय/ पंजीकृत कार्यालय..... में है, (जिसे इसमें आगे ‘उधार लेने वाला’ कहा गया है और इसकेअंतर्गत उसके उत्‍तराधिकारी और समनुदेशिती भी है, जब तक कि ऐसा विषय या उसका संदर्भ से उसके विरुद्ध नहीं है ) के बीच ….. 2007 को किया गया है।

जबकि उधार लेने वाले ने .... का निष्‍पादन किया है (जिसे इसके बाद ‘परियोजना’ के रूप में कहा गया है) और उधार लेने वाले ने अपने दिनांक\_.... के पत्र के द्वारा परियोजना को लागू करने के लिए उपयोग करने हेतु …. रु0 (केवल …… रुपए) के ऋण की स्‍वीकृति के लिए कॉर्पोरेशन के पास आवेदन किया था।

और जबकि कॉर्पोरेशन ने उधार लेने वाले को उक्‍त परियोजना के निष्‍पादन के प्रयोजन के लिए …. रु0 (केवल …. रुपए) का

ऋण कॉर्पोरेशन के दिनांक ….. के पत्र में निहित निबंधनों और शर्तों पर स्‍वीकृत किया है उसके संशोधनों के बारे में उधार लेने वाले को ऋण की स्‍वीकृति और उक्‍त पत्र में नियत निबंधन और शर्तों के बारे में सूचित कर दिया गया है।

और जबकि उधार लेने वाले ने दिनांक … को हुई बोर्ड की अपनी बैठक में परिचालन \* के द्वारा दिनांक ….. को पारित किए गए अपने संकल्‍प से उक्‍त शर्तों पर उक्‍त ऋण को स्‍वीकार करने की सहमति दी है।

और जबकि ऋण की एक शर्त के अनुसार उधार लेने वाले को यह प्रस्‍तुत करना अपेक्षित है –

\* ऋण उधार लेने वाले द्वारा उचित भुगतान करने तथा ब्‍याज, ब्‍याज कर, जो भी समय-समय पर लागू हो, वचनबद्धता प्रभारों तथा दण्‍ड ब्‍याज उस पर अन्‍य व्‍यय आदि और / अथवा कोई अतिरिक्‍त राशि (राशियों) जो करार के तहत देय बनती है, के लिए भारतीय स्‍टेट बैंक अथवा इसके सहायक अथवा किसी राष्‍ट्रीयकृत बैंक से … राज्‍य की सरकार की ओर से गारंटी ।

और / अथवा

\* क ) संलग्‍न विवरण के अनुसार वर्तमान और भावी दोनों में उधार लेनेवाले की सभी अचल सम्‍पत्‍तियों/अन्‍य परिसम्‍पत्‍तियों (सम्‍पत्‍तियों के नाम ) के बारे में कॉर्पोरेशन की संतुष्‍टि के रूप में कॉर्पोरेशन के पक्ष में गिरवी रखकर प्रथम प्रभार,

और / अथवा

\* ख ) चल मशीनरी, मशीनरी फुटकर पुर्जे, औजार और सहायक उपकरण ईंधन स्‍टॉक, परियोजना स्‍थल पर वर्तमान और भविष्‍य में फुटकर पुर्जें और सामग्री सहित उधार लेने वाले के चल परिसम्‍पत्‍तियों (बचत एवं पुस्‍तकों में दिए ऋणों को छोड़कर) कॉर्पोरेशन के पक्ष में गिरवी रखकर प्रथम प्रभार ।\*\*

 सृजित और /अथवा सृजित किए जानेवाले पहले के प्रभारों में बचत करना :-

1. साधारण कार्य अवधि में क्रियाशील पूंजी की आवश्‍यकताओं के लिए ऋण प्राप्‍त करने हेतु उधार लेने वाले के कच्‍चे माल, अर्द्ध तैयार और तैयार माल, उपभोज्‍य वस्‍तुओं और ऐसी अन्‍य चल सम्‍पत्‍तियों के स्‍टॉक के बारेमें उधार लेने वाले के बैंकरों के पक्ष में जिनके बारे में कॉर्पोरेशन सहमत हो, और
2. कॉर्पोरेशन , द्वारा निर्णय करने के अनुसार... रु0 तक की सीमा की ….. द्वारा उधार लेने वाले के लिए स्‍वीकृत आस्‍थगित भुगतान सुविधाओं के तहत उधार लेने वाले द्वारा खरीदी गई और / अथवा खरीदी जाने वाली कॉर्पोरेशन के द्वारा यथा अनुमत मशीनरी की विशिष्‍ट मदों पर ।

\*\* बंधक और उपर उल्‍लिखित प्रभार समान रूप से बंधक ग्राही के पास रहेंगे तथा … के पक्ष में प्रभार सृजित होंगे और/ अथवा सृजित किए जाएंगे।

(\*\* जहां लागू हो)

\* (यथा लागू रखना )

और जबकि, कॉर्पोरेशन के द्वारा निर्धारित स्‍वरुप में ऋण और ब्‍याज, ब्‍याज कर, वचन बद्धता प्रभारों, दण्‍ड ब्‍याज, अन्‍य व्‍यय आदि का उधार लेनेवाले उचित भुगतान की गारंटी देते हुए ….. राज्‍य सरकार /….. (बैंक) ने अपरिवर्तनीय गारंटी का निष्‍पादन करने की सहमति दी है।

\* प्रत्‍येक मामले में अनुमोदित स्‍वीकृति की शर्तों के अनुसार इस शर्त में संशोधन किया जा सकता है

अब पक्षकारों द्वारा और उनके बीच में एतद्द्वारा इसके साथ निम्‍नानुसार सहमति दी है :-

1. कॉर्पोरेशन उधार लेने वाले को दिनांक …. दिन ……2007 के कॉर्पोरेशन के उक्‍त पत्र में निर्धारित निबंधन और शर्तों पर तथा उनके संशोधनों और इसमें निहित निबंधन और शर्तों पर ….. रु0 (केवल.... रुपए) की राशि उधार एवं अग्रिम देगी।
2. उधार लेने वाला मूलधन, ब्‍याज, ब्‍याज कर, वचन बद्धता प्रभारों, दण्‍ड ब्‍याज और अन्‍य व्‍यय आदि के समस्‍त भुगतानों का कॉर्पोरेशन को नई दिल्‍ली स्‍थित उसके पंजीकृत कार्यालय में करेगा ।
3. उधार लेने वाला उक्‍त परियोजना का कार्यान्‍वित करेगा तथा उसके ऐसे सभी संशोधनों का पालन करेगा तथा पूरा करेगा जिन को कॉर्पोरेशन ने अनुमोदन दिया है।
4. उधार लेने वाला कार्य को उस तरीके से और समय अनुसूची के अनुसार पूरा करने को सहमत है तथा शुरु करता है जिस प्रकार स्‍वीकृत ऋण की निबंधन और शर्तों में यथा परिकल्‍पित है।
5. उधार लेने वाले ने कॉर्पोरेशन को समझाया है तथा आश्‍वासन दिया है कि कॉर्पोरेशन के लिए आवेदन किया गया और उधार लेने वाले को स्‍वीकृत किया जा रहा ऋण इसके लिए लागू नियमों तथा उप नियमों के अनुसार उधार लेने वाले की उधार लेने की क्षमताओं के भीतर है तथा ऐसा ऋण से संबंधित उधार लेने वाले के कार्य और व्‍यवहार को विनियमित करने वाले नियमों तथा उप नियमों तथा नियमों में यथा अपेक्षित सभी औपचारिकताओं का पूरी तरह से पालन किया गया है।
6. \* उधार लेने वाला... राज्‍य सरकारसे इस करार की शर्तों के अनुसार उधार लेने वाले की वचन बद्धताओं को उचित ढंग से पूरा करने के लिए तथा मूलधन और उस पर ब्‍याज, ब्‍याज कर, वचन बद्धता प्रभारों, दण्‍ड ब्‍याज आदि तथा लागत प्रभारों, व्‍यय हानियों एवं अन्‍य धनराशि आदि का उचित ढंग से भुगतान करने के लिए कॉर्पोरेशन को गारंटी प्रस्‍तुत करने के लिए भी सहमत हुआ है तथा उधार लेने वाला एतद्द्वारा यह घोषणा करता है कि इसने पूर्वोक्‍त प्रयोजनों के लिए कॉर्पोरेशन द्वारा यथा अपेक्षित स्‍वरुप में ऐसी गारंटी प्रस्‍तुत करने के प्रयोजनार्थ उक्‍त सरकार/ …. का अनुमोदन प्राप्‍त कर लिया है।

और / अथवा

उधार लेने वाले ने निम्‍नलिखित तरीके से ऋण प्राप्‍त करने के लिए सहमति दी है :-

\* क ) संलग्‍न विवरण के अनुसार वर्तमान और भावी दोनों में उधार लेने वाले की सभी अचल सम्‍पत्‍तियों / अन्‍य परिसम्‍पत्‍तियों (सम्‍पत्‍तियों के नाम) के बारे में कॉर्पोरेशन की संतुष्‍टि के रूप में कॉर्पोरेशन के पक्ष में गिरवी रखकर प्रथम प्रभार,

और / अथवा

\* ख ) चल मशीनरी, मशीनरी फुटकर पुर्जे, औजार और सहायक उपकरण ईंधन स्‍टाक, परियोजना स्‍थल पर वर्तमान और भविष्‍य में फुटकर पुर्जें और सामग्री सहित उधार लेने वाले के चल परिसम्‍पत्‍तियों (बचत एवं पुस्‍तकों में दिए ऋणों को छोड़कर) कॉर्पोरेशन के पक्ष में गिरवी रखकर प्रथम प्रभार ।\*\*

 सृजित और /अथवा सृजित किए जानेवाले पहले के प्रभारों में बचत करना :-

1. साधारण कार्य अवधि में क्रियाशील पूंजी की आवश्‍यकताओं के लिए ऋण प्राप्‍त करने हेतु उधार लेने वाले के कच्‍चे माल, अर्द्ध तैयार और तैयार माल, उपभोज्‍य वस्‍तुओं और ऐसी अन्‍य चल सम्‍पत्‍तियों के स्‍टॉक के बारे में उधार लेने वाले के बैंकरों के पक्ष में जिनके बारे में कॉर्पोरेशन सहमत हो, और
2. कॉर्पोरेशन द्वारा निर्णय करने के अनुसार... रु तक की सीमा की ….. द्वारा उधार लेने वाले के लिए स्‍वीकृत आस्‍थगित भुगतान सुविधाओं के तहत उधार लेने वाले द्वारा खरीदी गई और / अथवा खरीदी जाने वाली कॉर्पोरेशन के द्वारा यथा अनुमत मशीनरी की विशिष्‍ट मदों पर ।

\*\* बंधक और उपर उल्‍लिखित प्रभार समान रूप से बंधक ग्राही के पास रहेंगे तथा … के पक्ष में प्रभार सृजित होंगे और / अथवा सृजित किए जाएंगे।

(\*\* जहां लागू हो)

\* (यथा लागू रखना )

 *उधार लेने वाला अपनी सम्‍पत्‍तियों के बारे में अच्‍छा विपणन योग्‍य स्‍वामित्‍व निगम की संतुष्‍टि के लिए प्रस्‍तुत करेगा तथा उक्‍त प्रयोजन के लिए यथा आवश्‍यक अथवा अपेक्षित ऐसी सभी औपचारिकताओं को पूरा करेगा।*

*।। अतिरिक्‍त प्रतिभूति का सृजन करना- उधार लेने वाला यह वचन देता है कि इस करार की अवधि के दौरान यदि कॉर्पोरेशन का यह मत बनता है कि उधार लेने वाले द्वारा उपलब्‍ध करायी गई प्रतिभूति उस समय बकाया ऋण को शेष की सुरक्षा के लिए अपर्याप्‍त बन गई हो तो उधार लेने वाला ऐसी कमी को सुरक्षा प्रदान करने के कॉर्पोरेशन को यथा स्‍वीकार्य अतिरिक्‍त प्रतिभूति कॉर्पोरेशन को उपलब्‍ध कराएगा तथा प्रस्‍तुत करेगा।*

।।। \* प्रभार का प्रजीकरण : उधार लेने वाले के पास कम्‍पनी अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय के भीतर कम्‍पनियों के पंजीयक (आर ओ सी) के पास पंजीयक प्रभार का ब्‍यौरा होगा तथा प्रभार के पंजीकरण को प्रमाणित करते हुए आर ओ सी से एक प्रमाण पत्र प्रस्‍तुत करेगा।

और / अथवा

इंग्‍लिश मार्टगेज के मामले में, जहां कहीं निष्‍पादित की हो, आश्‍वासनों के उप पंजीयक (सब रजिस्‍ट्रार ऑफ एसोरोसिस) के पास पंजीकृत प्रभारों के विवरण उधार लेने वाले के पास होंगे ।

\* प्रत्‍येक मामले में अनुमोदित स्‍वीकृति की शर्तों के अनुसार इस धारा में संशोधन किया जा सकता है।

1. उधार लेने वाला कार्यकरण के संबंध में तथा ऋण की राशि के उपयोग के संबंध में और कॉर्पोरेशन द्वारा यथा अपेक्षित परियोजना की प्रगति के संबंध में ऐसी आवधिक विवरणियां (रिटर्न) प्रस्‍तुत करेगा ।
2. उधार लेने वाला कॉर्पोरेशन के निरीक्षण हेतु अपनी सभी लेखा पुस्‍तकें तथा किसी नियम, उप नियम अथवा उधार लेने वाले के नियमों के तहत इसके द्वारा बनायी गई और/ अथवा इसके द्वारा बनाए जाने के लिए अपेक्षित अन्‍य पुस्‍तकें तथा दस्‍तावेज उपलब्‍ध कराने होंगे तथा ऐसा निरीक्षण करने के प्रयोजनार्थ कॉर्पोरेशन को अथवा इसके द्वारा अधिकृत किसी व्‍यक्‍ति को सभी सुविधाएं प्रदान करेगा । कॉर्पोरेशन को परियोजना एवं इससे संबंधित सभी लेखा पुस्‍तकों, रिकार्डों एवं दस्‍तावेजों का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
3. उधार लेने वाला इस करार के लम्‍बित अवधि के दौरान किसी भी समय कॉर्पोरेशन को यथा अपेक्षित सभी दस्‍तावेजों, कागजातों, पावतियों एवं अन्‍य लेखन सामग्रियों के निष्‍पादन, हस्‍ताक्षर, सील एवं डिलीवर करने हेतु सहमति एवं वचन देता है जिससे इनके होने पर उधार लेने वाले की ओर बकाया तथा देय राशि अथवा उसकी ओर बकाया एवं देय बनने वाली राशि को कॉर्पोरेशन पूर्णत: एवं अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्‍त कर सके।
4. उधार लेने वाला यह वचन देता है कि –
5. वह ब्‍याज के भुगतान अथवा उसकी ओर बकाया राज्‍य सरकार के ऋण का पुनर्भुगतान ऐसे समय तक नहीं करेगा/ समायोजित नहीं करेगा जब तक ब्‍याज का भुगतान और बकाया ऋण का पुनर्भुगतान कॉर्पोरेशन को अद्यतन तारीख तक पूरा नहीं किया जाता है।
6. वह कॉर्पोरेशन की लिखित में पूर्व सहमति के बिना किसी भी तरीके से किसी भी चरण में परियोजना की बिक्री/ हस्‍तांतरण अथवापरित्‍याग नहीं करेगा।
7. परियोजना अथवा परिसम्‍पत्‍तियों की बिक्री/ हस्‍तांतरण/ परित्‍याग के मामले में वह ऐसा हस्‍तांतरण करने से पूर्व वह सम्‍पूर्ण बकाया राशि का एक किस्‍त में कॉर्पोरेशन को भुगतान करेगा।
8. कॉर्पोरेशन से ऋण अनुमोदित वार्षिक योजना प्रावधान के अनुसार परियोजना के लिए राज्‍य की वचनबद्ध बजटीय सहायता के अलावा होगा।
9. उधार लेने वाले का ऋण की राशि के प्रत्‍येक किस्‍त के संवितरण के समय पर और उधार लेने वाले द्वारा कॉर्पोरेशन की बकाया समस्‍त धनराशि को पूर्णत: चुकता करने तक परियोजना का स्‍वामी और उसके भौतिक कब्‍जा होना चाहिए और कब्‍जा जारी रखना चाहिए ।
10. उधार लेने वाला कॉर्पोरेशन की लिखित सहमति के बिना किसी भी समय परियोजना का हस्‍तांतरण अथवा परित्‍याग नहीं करेगा। यदि किसी समय अथवा भविष्‍य में परियोजना को किसी अन्‍य संगठन को हस्‍तांतरण किए जाने अथवा परित्‍याग करने का प्रस्‍ताव किया जाता है, तो उधार लेने वाले की ओर बकाया सम्‍पूर्ण राशि (उदाहरणार्थ, मूलधन, ब्‍याज,ब्‍याज कर, वचनबद्धता प्रभारों, दण्‍ड ब्‍याज आदि ) ऐसे किसी हस्‍तांतरण से पूर्व कॉर्पोरेशन को भुगतान करनी होगी।
11. उधार लेने वाले की ओर से कोई चूक होने अथवा इन मौजूदा निबंधन और शर्तों का किसी प्रकार से उल्‍लंधन होने की स्‍थति में उधार लने वाले द्वारा करार के लिए किए गए समझौते के संबंध में तथा बकाया राशि की प्राप्‍ति/ वसूली के लिए किए गए कानून खर्चों सहित करार के संबंध में कॉर्पोरेशन द्वारा किए गए / किए जाने वाले सभी लागत, प्रभार तथा व्‍यय का कॉर्पोरेशन के लिए भुगतान करना होगा।
12. यदि उधार लेने वाला इस करार के तहत अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है और अथवा उसकी किसी शर्त का उल्‍लंघन करने की स्‍थति में कॉर्पोरेशन का ऋण को लौटाने के लिए देय तारीख से पहले किसी भी समय ऋण को वापस मांगने का इसके अन्‍य अधिकारों और उपचारों के प्रति बिना किसी पक्षपात के हक होगा। इस करार की शर्तों का उधार लेने वाले ने उल्‍लंघन किया है अथवा नहीं किया है, इस बारे में कॉर्पोरेशन के प्रबंधन निदेशक का निर्णय अन्‍तिम होगा तथा उधार लेने वाले को बाध्‍य होगा।
13. प्रत्‍येक नोटिस, मांग, अनुरोध, सहमति, अनुमोदन, माफी अथवा दिए जाने अथवा इसके तहत किया जानेवाला करार, इसमें अन्‍यथा विशेष रुप से उपलब्‍ध होते हुए लिखित में और अंग्रेजी भाषा में होगा तथा इसे दस्‍ती डिलीवर किया जाएगा अथवा डाक (पंजीकृत डाक) से या टेलेक्‍स अथवा केबल के द्वारा भेजे जाएगा और इसे दिया गया और प्राप्‍त किया गया माना जाएगा यदि इसे दस्‍ती डिलीवर किया जाता है यदि डाक से भेजा जाता है तथा डाक से भेजने की तारीख के बाद तीसरे दिन (शनिवार, रविवार, और अन्‍य छुट्टी के दिनों को छोड़कर) और यदि टेलेक्‍स अथवा केबल से भेजा जाता है तो भेजने की तारीख से दूसरे दिन (शनिवार, रविवार , और अन्‍य छुट्टी के दिनों को छोड़कर) दिया गया और प्राप्‍त किया गया माना जाएगा। इन प्रयोजनों के लिए उधार लेने वाले तथा पी एफ सी का डाक पता, टेलेक्‍स नं. तथा केबल पता, क्रमश: इस प्रकार होंगे –

उधार लेने वाले के लिए

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए

 ‘उर्जानिधि’

 1, बाराखम्‍बा लेन,

कनाट प्‍लेस,

नई दिल्‍ली – 110001

फोन नं. -011-23456000

फैक्‍स नं. -011-23412545

अथवा ऐसा अन्‍य डाक अथवा केबल पता अथवा टेलेक्‍स नं. जिसके बारे में उधार लेने वाला अथवा पी एफ सी, स्‍वयं के लिए समय –समय पर यथा पूर्वोक्‍त अन्‍य को अधिसूचित करे।

1. यह करार...... में निष्‍पादित किया जाता है तथा ऋण उधार लेने वाले को कॉर्पोरेशन के द्वारा नई दिल्‍ली में दिया जाएगा। इस करार से उत्‍पन्‍न हुए किसी मुकदमें अथवा मामले को स्‍वीकार करना केवल दिल्‍ली/ नई दिल्‍ली के सिविल न्‍यायालयों का ही अधिकार क्षेत्र होगा।

इसके साक्ष्‍य स्‍वरुप इसके पक्षकारों ने इसमें सर्वप्रथम लिखे दिन, मास और वर्ष इसका निष्‍पादन किया है।

हस्‍ताक्षर किए और परिदान किया

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि0 की ओर से)

हस्‍ताक्षर ………………………………………………………

नाम और पदनाम …………………………………………..

……………………………………………………………………

पता …………………………………………………………….

……………………………………………………………………

की उपस्‍थिति में …………………………………………….

हस्‍ताक्षर ………………………………………………………

नाम और पदनाम …………………………………………..

……………………………………………………………………

पता …………………………………………………………….

……………………………………………………………………

हस्‍ताक्षर किए और परिदान किया

(बिजली बोर्ड / उधार लेने वाले की ओर से)

हस्‍ताक्षर ………………………………………………………

नाम और पदनाम …………………………………………..

……………………………………………………………………

पता …………………………………………………………….

……………………………………………………………………

की उपस्‍थिति में …………………………………………….

हस्‍ताक्षर ………………………………………………………

नाम और पदनाम …………………………………………..

……………………………………………………………………

पता …………………………………………………………….

……………………………………………………………………

*नोट :उपर्युक्‍त धारा ऋण संबंधी करार में मानक धाराएं है तथा इनमें कॉर्पोरेशन की स्‍वीकृति शर्तों एवं उधार देने की नीतियों के अनुसार संशोधन किया जा सकताहै।*